संख्या-06/2024/824/52-2-2024

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान व्यय मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5859/अ0सं0क0नि0-52/लेखा-/बजट-पु0वि0/2023-24, दिनांक 13.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान के मानक मद-17-किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-001-04 के अन्तर्गत मानक मद-17- किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व मद में रु0 53.00 लाख (रुपये तिरपन लाख मात्र) हेतु चालू वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-01-800-03 के अन्तर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध बचतों रु0 9000.00 लाख में से संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-09 के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0 53.00 लाख (रुपये तिरपन लाख मात्र) अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
5. जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय-**17-किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व** मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर0ई0 संख्या- बजट-1-836, दिनांक 27 मार्च,2024 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0.9 प्रपत्र(मूलरूप में)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-06/2024/824(1)/52-2-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. वित्त(ई-11)अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1(02प्रतियोंमें) /नियोजन अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।